


23.5.17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.पांयला खुर्द में पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। उतरदाता स.14 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। और उनकी ओर से जबाव पेश किया गया। जो शामिल मिसल हो। उतरदातागण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। उतरदाता स.1 से 13 बावजूद सुचना के हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकरतफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया, कि ग्राम पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा सख्या 341 रकबा 65-11 बीधा भूमि अपीलान्ट एवं उतरदाता स.1 से 13 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। जिसके तत्कालीन खातेदार प्रतापसिंह वल्द मोहबतसिंह के फोट होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण स.276 में अपीलान्ट का सही नाम गोतमसिंह के स्थान गोमसिंह गलत नाम दायर किया गया। जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में उक्त प्रविष्टि चली आ रही है। जबकि वास्तविक प्रार्थी का नाम गोतमसिंह वल्द प्रतापसिंह है। जो राजस्व रिकार्ड में सही नाम गोतमसिंह दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा सख्या 341 रकबा 65-11 बीधा भूमि के खातेदार प्रतापसिंह वल्द मोहबतसिंह के फोट होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण स.276 में अपीलान्ट का वास्तविक नाम गोतमसिंह के स्थान पर गोमसिंह गलत नाम दायर किया गया। जबकि वास्तविक नाम गोतमसिंह वल्द प्रतापसिंह है। जो पत्रावली के सलंगन दस्तावेज यथा- आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स व परिवार राशन कार्ड की प्रतिलिपि से प्रमाणित होता है। कि अपीलान्ट का वास्तविक नाम गोतमसिंह है। और राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दायर हो रखा है। एवं पैरोकार सरकार ने भी गोतमसिंह सही नाम होने से अपगत करवाया गया। एवं उतरदाता स.1 से 13 बावजूद सुचना के हाजिर नहीं हुए हैं। इससे साबित



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

होता है। कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने मे उनकी मौन स्वीकृति है। एवं मजमे आम मे भी पुछताछ करने पर प्राथी का वास्तविक नाम गोतमसिह वल्द प्रतापसिह होना पाया गया है।

लिहाजा अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर ग्राम पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा सख्या 341 रकबा 65-11 बीधा भूमि के राजस्व रिकार्ड(जमाबंदी) मे अंकित गलत प्रविष्टि गोमसिह वल्द प्रतापसिह के स्थान पर सही नाम गोतमसिह वल्द प्रतापसिह दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदुस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

आदेश मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


23/5/18
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी